(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 36 / 2024

पंजीकरण संख्या :– 2024 / 188

बउनवान

नाथूलाल मीणा पुत्र श्री प्रभूलाल मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम गोडियामेहर तहसील छबड़ा जिला बारां **(अपीलांट)**

बनाम

दिनेश कुमार मीणा पुत्र श्री बाबूलाल मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम गोडियामेहर तह. छबड़ा जिला बारां **(रेस्पोडेन्ट)**

अपील विरूद्ध तहसीलदार, छबड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 04.07.2024 की अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत

उपस्थित :– 1– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अपीलांट)
2– श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 28.01.2025

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा के प्रकरण संख्या 04 / 2023 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान दिनेश कुमार मीणा बनाम नाथूलाल मीणा मे पारित निर्णय दिनांक 04.07.2024 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेन्ट के अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 03.12.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा से मूल पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। रेस्पोडेन्ट द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात एवं धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के प्रक्रिया एवं प्रावधानों से असंगत विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट एवं उनके पूर्वजों सहित 150 वर्षों से काबिज काश्त आराजी पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखली का निर्णय पारित करने में विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों मीणा जाति के व्यक्ति है और अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने से धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के प्रावधान प्रभावी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट का संक्षिप्त विचारण न कर, अपीलांट को [illegible] देकर मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट तहसील छबड़ा में पटव[illegible] तहसील छबड़ा के राजस्व कर्मचारियों ने अपीलांट को सूचना दिये बिना [illegible] 03.10.2023 [illegible] है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पुराने राजस्व रिकार्ड को अनदेखा कर मिलीभगत से [illegible] पारित किया है, जो यथावत रहने योग्य नहीं है। अपीलांट का अपने पूर्वजों सहित लगभग 150 वर्षों से खसरा नं. 607 की सम्पूर्ण आराजी जो एक चक के रूप में स्थित है, पर अपीलांट का [illegible]पित कब्जा काश्त होने से अपीलांट विधि द्वारा परिभाषित अतिक्रमी नहीं होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से अतिक्रमी मानकर अपीलांट की बेदखली का निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। प्रभूलाल के नाम रजिस्ट्री थी, जिसे मृत्यु के बाद पक्षकार नहीं बनाया गया। जिस व्यक्ति का 12 वर्षो से अधिक का कब्जा है, उसे बेदखल नहीं कर सकते। दिनांक 06.07.1979 की रजिस्ट्री है। उक्त भूमि खरीदने के बाद बंटवारा नहीं करवाया गया। जेसीबी से गेहूं की फसल नष्ट कर दी गई। रेस्पोडेन्ट एवं अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:37 IST
Reason: SelfAttested

सह खातेदारान का खसरा नं0 607 के किसी भी भू–भाग पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। पत्रावली में अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी पर कब एवं कैसे कब्जा किया, न तो ऐसा दस्तावेज है, न हीं इस बाबत् कोई साक्ष्य है। किसी के कब्जे एवं आधिपत्य की आराजी पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया जबरन कब्जा हीं अतिक्रमण की परिभाषा में आता है। अपीलांट द्वारा संक्षिप्त विचारण अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने बाबत् अपीलांट की ओर से प्रार्थना दिनांक 04.07.2024 को पेश किया। प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना हीं अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 183 आर.टी.एक्ट में दर्ज किया जाना चाहिए था जो 183 (बी) आर.टी.एक्ट में गलत दर्ज किया गया है।

1. अपीलांट अपने पूर्वजों की आराजी पर विगत 55 वर्षो से काबिज काश्त होने से अपीलांट अतिक्रमी नहीं है जिसके संबंध में न्यायिक दृष्टांत RLW 2006(2) RJ Page No. 1230 वर्धा बनाम नारायण प्रस्तुत है।
2. रेस्पोडेन्ट ने धारा 183 बी के प्रार्थना पत्र में यह नहीं दर्शाया कि उसका विवादित आराजी पर कबसे आधिपत्य था और उसे आधिपत्य में अपीलांट द्वारा किस दिनांक व वर्ष में अतिक्रमण किया, प्रार्थना पत्र में दर्शित नहीं है। अपीलांट अपने पिता की विरासत उपरांत से उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलांट का विवादित आराजी पर 55 वर्षो से कब्जा होने से रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र धारा 183 बी आर.टी.एक्ट मियाद बाहर होने से निरस्तनीय है जिसके संबंध में न्यायिक दृष्टांत (1) RRC 1995 Page No.126 कस्तूरी बनाम बालकिशन, (2)RLW 2014(1) RJ372 श्रीकिशन बनाम हरबक्स (3) RLW 2006(2) RJ Page No. 1230 चतुर्भुज बनाम बेहरा

अपीलांट की अनुपस्थिति में राजस्व कर्मचारियों ने अपीलांट की आराजी का दिनांक 15.11.2024 को नाप तौल किया, जिसकी जानकारी उपरांत अपीलांट द्वारा तहसील छबड़ा में जाकर मालूम करने पर निर्णय दिनांक 04.07.2024 की जानकारी होने पर निर्णय की प्रतिलिपि दिनांक 20.11.2024 को प्राप्त हुई। निर्णय दिनांक 04.07.2024 से जानकारी दिनांक 15.11.2024 की अवधि को माफ कर अपील पेश है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 14.08.2023 न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा जिला बारां बउनवान मुकदमा दिनेश कुमार बनाम नाथूलाल अंतर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट मिसल नं. 04/2023 निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि विवादित आराजी वाके ग्राम गोडियामेहर खाता संख्या 362 से खसरा नं. 607 रकबा 0.6323 हे. का रेस्पोडेन्ट एक मात्र रेकार्डेड खातेदार है जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। अपीलांट ने जबरन ताकत के बल पर अविधिक तौर पर रेस्पोडेन्ट की आराजी पर कब्जा किया था जिस पर रेस्पो. के आवेदन पर तहसीलदार, छबड़ा द्वारा धारा 183 बी में प्रकरण दर्ज कर विधि सम्मत निर्णय पारित कर अपीलांट को रेस्पो. की विवादित आराजी से सही बेदखल किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना में अपीलांट को दिनांक 13.11.2024 को बेदखल कर रेस्पो. को विवादित आराजी पर कब्जा व दखल संभलाया जा चुका है तथा ऐसा कोई विधान नहीं है कि खातेदार किसान को उसकी विधिपूर्ण आराजी से पुनः बेदखल किया जा सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:37 IST
Reason: Self Attested

वाद में विवादित आराजी रेस्पो. के खातेदारी में दर्ज है तथा रेस्पो. अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। अपीलांट द्वारा जो स्वयं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, ने अविधिक तौर पर रेस्पो. की आराजी पर कब्जा कर ताकत के बल पर रेस्पो. को खेती किसानी में व्यवधान पहुंचाया था। अपीलांट के कथन की धारा 183 बी आर.टी.एक्ट के प्रावधान अपीलांट पर अप्रभावी है, अस्वीकार है क्योंकि उक्त धारा लागू करने का मूलभूल प्रायोजन अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के हितार्थ अविधिक तौर पर उनकी आराजी पर कब्जा करने व बनाये रखने वाले व्यक्तियों के खिलाफ संक्षिप्त कार्यवाही अमल में लाकर ऐसे लोगों को बेदखल करना है। उक्त धारा की शब्दावली में शब्द अतिचार का उल्लेख किया गया है। अतिचार एक अतिचारी है, चाहे वह अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य हीं

क्यों न हो तथा न्यायिक दृष्टांत 2013(2) आर.आर.टी. पेज नं. 1272 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा बउनवान प्रकरण शाहिद खान बनाम कृष्णलाल में भी उक्त स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि जब दोनों पक्षकार अनुसूचित जनजाति के हो तब भी धारा 183 बी आर.टी.एक्ट के प्रावधान लागू होते है तथा उक्त कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है। अतिचार करने वाले व्यक्ति को संक्षिप्त रूप से वाद के लिये विहित प्रक्रिया को अपनाये बिना बेदखल किया जा सकता है।

विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड अनुसार रेस्पो. एकमात्र खातेदार किसान है जिस कारण अन्य परिजन को पक्षकार बनाने व आवश्यक पक्षकार होने के कथन गैरकानूनी व वाद को पेचीदा करने हेतु अपीलांट द्वारा उठाये गये है। धारा 183 बी आर.टी.एक्ट में उन व्यक्तियों को बेदखल करने हेतु प्रावधान है जिन व्यक्तियों ने बिना किसी विधिक प्राधिकार के अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों की भूमि पर अतिचार कर कब्जा कर लिया है या कब्जा बनाये हुये है। इस कारण अपीलांट के अवैधानिक कब्जे बाबत् रेस्पो. द्वारा साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं करने के कथन अर्थहीन व अविधिक है तथा यह निर्विवाद है कि विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड अनुसार रेस्पो. के खातेदारी में दर्ज है तथा रेस्पो. अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। विवादित आराजी पर अपीलांट द्वारा जो स्वयं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, ने अविधिक तौर पर रेस्पो. की आराजी पर कब्जा कर ताकत के बल पर रेस्पो. को खेती किसानी में व्यवधान कारित किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित न्याय निर्णयन कर अपीलांट को बेदखल करने के आदेश पारित किये है, जो न्यायिक दृष्टांत 2014 (3) डी.एन.जे. पेज नं. 310 से प्रमाणित है।

अपीलांट के विवादित आराजी पर 150 वर्षो से पूर्वजों सहित काबिज होने के कथन अप्रमाणित व मनगढंत है तथा उक्त आराजी रेस्पो. को विभाजन में अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है तथा रेस्पो. की विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकारों को आज दिवस तक अपीलांट द्वारा किसी न्यायालय में चैलेंज भी नहीं किया है जो इस बात का प्रमाण है कि अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करवाकर रेस्पो. को पुनः उसकी खातेदारी की आराजी से बेदखल कर सके।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक का मुख्य कथन है कि अपीलांट एवं उनके पूर्वजों सहित 150 वर्षों से काबिज काश्त आराजी पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखली का निर्णय पारित करने में विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट दोनों मीणा जाति के व्यक्ति है और अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने से धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के प्रावधान प्रभावी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट का संक्षिप्त विचारण न कर, अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का अवसर न देकर मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट तहसील छबड़ा में पटवारी होने से तहसील छबड़ा के राजस्व कर्मचारियों ने अपीलांट को सूचना दिये बिना हीं दिनांक 03.10.2023 को मौका देखा है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पुराने राजस्व रिकार्ड को अनदेखा कर मिलीभगत से निर्णय पारित किया है, जो यथावत रहने योग्य नहीं है। अपीलांट का अपने पूर्वजों सहित लगभग 150 वर्षो से खसरा नं. 607 की संपूर्ण आराजी जो एक चक के रूप में स्थित है, पर अपीलांट का स्थापित कब्जा काश्त होने से अपीलांट विधि द्वारा परिभाषित अतिक्रमी नहीं होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से अतिक्रमी मानकर अपीलांट की बेदखली का निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। प्रकरण में अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर साबित नहीं होते है।

रेस्पोडेन्ट का मुख्य कथन है कि [illegible] ग्राम गोडियामेहर खाता संख्या 362 से खसरा नं. 607 रकबा 0.6323 है. का ... एक मात्र रेकार्डेड खातेदार है जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। अपीलांट ने जबरन ताकत के बल पर अविधिक तौर पर रेस्पोडेन्ट की आराजी पर कब्जा किया था जिस पर रेस्पो. के आवेदन पर तहसीलदार, छबड़ा द्वारा धारा 183 बी में प्रकरण दर्ज कर विधि सम्मत निर्णय पारित कर अपीलांट को रेस्पो. की विवादित आराजी से सही बेदखल किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय की पालना में अपीलांट को दिनांक 13.11.2024 को बेदखल कर रेस्पो. को विवादित आराजी पर कब्जा व दखल संभलाया जा चुका है तथा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि खातेदार किसान को उसकी विधिपूर्ण आराजी से पुनः बेदखल किया जा सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:37 IST
Reason: SelfAttested

वाद में विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड अनुसार रेस्पो. श्री दिनेश कुमार पुत्र बाबूलाल जमाबंदी संवत् 2073–2076 के अनुसार खातेदारी में दर्ज है तथा रेस्पो. अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। विवादित आराजी पर अपीलांट द्वारा जो स्वयं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, ने अविधिक तौर पर रेस्पो. की आराजी पर कब्जा कर ताकत के बल पर रेस्पो. को खेती किसानी में व्यवधान पहुंचाया जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 04/2023 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान दिनेश कुमार बनाम नाथूलाल मे निर्णय दिनांक 04.07.2024 को पारित किया गया है जिसकी पालना भी हो चुकी है। जिसमें यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हैं।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **28.01.2025** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:30:37 IST
Reason: SelfAttested